अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2021(GCMS 2021/120) (आरटीआई नं. 212862707781982) श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52 एफ/509327) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोषाधिकारी श्री नरेश अग्रवाल व अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने कोषाधिकारी के पत्रांक 438 दिनांक 03.12.19 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया है कि "अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय" के समक्ष लगभग 500 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है तथा समस्त अपीलें माननीय आयोग द्वारा खारिज की गयी है।

1. प्रार्थी के द्वारा 500 से अधिक आवेदन जो आवेदन प्रस्तुत किये गये है उनकी सूचना व 500 से अधिक आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां मांगी है।
2. माननीय आयोग द्वारा 500 से अधिक समस्त अपीलें जो खारिज की गयी है, उनका अनवान्, पक्षकारों का नाम, अपील संख्या व निर्णय की दिनांक की सूचना व निर्णय की प्रति जो खारिज की गयी है, मांगी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/स्था./2021/593 दिनांक 01.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री राधेश्याम गोयल के आवेदन पत्र के मुताबिक कोषाधिकारी के पत्रांक 438 दिनांक 03.12.2019 के अनुसार प्रमाणित प्रतियां चाही है। आवेदन से सम्बन्धित पत्र में राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद संख्या सीआईसी/एसजीएनजी/ए/2019/115061 विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 06.11.2020 को निर्णय अपील खारिज हो चुकी है। निर्णय की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।
>
> -sd-
> कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 06.11.2020 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा पारित निर्णय ही लागू होगा। इसलिए अपलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर